

गढ़ में शुद्धि कराने का प्रयत्न

राजस्थान प्रशासन अधिनियम, 1988 के नियम 130 के अन्तर्गत

क्र. सं.	खारा सं.	खसरा नंबर	रकबा	वर्तमान खारे का विवरण	प्रस्तावित प्राप्ति	दिनांक
1.	2	3.	4.	5.	6.	7.
1	17	185, 188, 190, 224, 230, 231, 234, 244, 245, 246, 256.	9.1093	बाबुराम पुत्र मनाराम दिल्ली-1/7 राहिन दिल्ली-1/7 राजस्थान मरहटा आर्मी बैंक धारा MANIPUR	बाबुराम पुत्र मनाराम दिल्ली-1/7 राहिन दिल्ली-1/7 राजस्थान आर्मी बैंक धारा MANIPUR	12-6/2028
<p>मुतादिक भिसल/जमावन्दी संघत के 2076-2079 हिस्सा शुद्ध किया जाना उपरोक्तानुसार प्रस्तावित है। प्रकरण अन्तर्गत घारा 130 राज० मू० राजस्य अधिनियम 1988 के तहत श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय अलवर के सम्म श्रवण योग्य है।</p>						
<p>सारािक राजस्य रिकॉर्ड से मिलान किया गया। रिपोर्ट पटवारी पूर्ण है। अतः उपरोक्तानुसार खारे में शुद्धि किया जाना उचित है।</p>				<p>पण्डलका 211926 मूअंनि० 211926 राजस्य जमिकारी की रिपोर्ट व सारिक रिकॉर्ड के मिलान के आधार पर उपरोक्तानुसार शुद्ध किया जाना उचित है। प्रकरण गन्तोवस्त सक्षिपत्रों के दौरान/पूर्व का होने से श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय अलवर को सादर अधित है।</p>		
<p>पण्डलका 211926 मूअंनि० 211926 राजस्य जमिकारी की रिपोर्ट व सारिक रिकॉर्ड के आधार पर उपरोक्तानुसार शुद्धीकरण किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। शान्त जमावन्दी में अमल किया जावे।</p>				<p>पण्डलका 211926 मूअंनि० 211926 राजस्य जमिकारी की रिपोर्ट व सारिक रिकॉर्ड के आधार पर उपरोक्तानुसार शुद्धीकरण किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। शान्त जमावन्दी में अमल किया जावे।</p>		

दिनांक _____
पं० म० 211926
ह० म० टटवारी
Shiv

दिनांक _____
7/14/2026
Prasad
728 250 मू० 211926 नि०

दिनांक _____
ह० राजस्य अधिकारी
08/04/26
राजस्य अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी
ह० उपखण्ड अधिकारी